दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2202**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Ganpat Ram Yadav

Mobile Number: ____________

Medium (English/Hindi): ____________

Reg. Number: ____________

Center & Date: ____________

UPSC Roll No. *(If allotted)*: ____________

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

[I] सामान्यत: संदर्भ-दक्षता ठीक है। कुछ प्रश्नों - 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19 में सुधार की गुंजाइश।

[II] सुधार की आवश्यकता। विषय संक्षिप्त सारगर्भित एवं प्रभावी होना चाहिए।

(III) विषय वस्तु दक्षता ठीक है।

(IV) भाषा प्रवाह ठीक है। ऐसे बनाए रखें।

(V) कुछ निष्कर्ष बहुत ही अच्छे हैं। अन्य में भी सुधार का प्रयास करें।

(VI) प्रस्तुतीकरण बेहतर है। बावजूद इसके इसमें Diagrams का प्रयोग करें और इसे अच्छा करने का प्रयास करें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. भारत में नियामक निकायों के कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? उन तरीकों के बारे में बताइये जिनसे इन्हें संबोधित किया जा सकता है? (150 शब्द) 10

What are the challenges affecting the functioning of regulatory bodies in India. Enumerate ways in which these can be addressed? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

ऐसी संवैधानिक अथवा गैर-संवैधानिक निकायें जो भारतीय लोकतंत्र के कार्यपालिका अथवा विधायिका को नियमित व नियंत्रित करती हैं, उन्हें नियामक निकायें कहते हैं - जैसे: लोक लेखा समिति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय

* SEBI, IRDA, TRAI, NGT

ये निकायें विधायिका को अनैतिक व अलोकतांत्रिक नियम बनाने से रोकने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करती हैं, जैसे - प्रश्नकाल, निंदा प्रस्ताव

हालाँकि इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

(Margin notes: बाजार की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित कर हित धारकों के हितों की रक्षा करते हैं। / मॉडल उत्तर देखें)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

1. राजनीतिक दबाव
2. स्वतंत्रता का अभाव
3. नियुक्तियों का राजनीतिकरण
4. पारदर्शिता में कमी
5. चर्चा का अभाव
6. संसाधनों का अभाव, आदि

कोर्ट के घटनाओं का उल्लेख करें।

उपाय

⇒ नियामक निकायों को स्वतंत्रता की रक्षा करना होगा
⇒ नियामक निकायों को संवैधानिक नैतिकता के प्रति जागरूक करना होगा
संसाधनों की कमी को पूरा कर निकायों को सशक्त करना होगा।

आयोगों/आंकड़ों/रिपोर्ट आदि का घटनाएँ उल्लेख अवश्य करें

नियामक निकायें किसी भी लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करने तथा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में सबसे सहायक हैं, अतः इनकी कार्य स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी अति आवश्यक है।

2½

Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. न्यायेत्तर हत्याओं (Extra-judicial Killings) के कारणों की पहचान कीजिये और उन उपायों पर चर्चा कीजिये जिनकी मदद से इन्हें रोका जा सके। (150 शब्द) 10

Identify the reasons behind extra-judicial killings and discuss the measures that are required to be taken. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

पुलिस हिरासत अथवा फेक एनकाउंटर द्वारा की जाने वाली वे हत्याएँ, जिन्हें विधि के तहत न्यायालय में निर्णयित नहीं किया होता है, न्यायेत्तर हत्याएँ कहलाती हैं।

Good

कारण

1. प्रशासन का राजनीतिकरण
2. पुलिस प्रशासन पर राजनैतिक दबाव
3. पुलिस अधिकारियों की जवाबदेहिता में कमी
4. बढ़ता जन आक्रोश
5. ढीली न्यायिक प्रणाली
6. अपराधियों का न्याय प्रणाली में व्याप्त लूपहोल्स का फायदा उठाकर बार-बार बच जाना आदि।

रोकने के उपाय

न्यायेत्तर हत्याओं को रोकने के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लिए निम्न कदम उठाने होंगे।

(1) पुलिस कार्य प्रणाली की निश्चित आचार संहिता तय करना।

(2) पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढाना।

(3) आधुनिक तकनीकों के माध्यम से न्यायालय द्वारा अग्र सक्रीय भूमिका निभाकर हिरासत में कैदियों की सुरक्षा

(4) पुलिस प्रशासन पर कार्य का बोझ कम करना होगा

(5) पुलिस प्रशासन को संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, शुचिता, जन सेवा की भावना लोक सेवक की नैतिकता आदि मूल्यों व विचारों की अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रशिक्षण।

इस प्रकार उपरोक्त उपाय न्यायेतर हत्याओं को कम कर सकती हैं।

* प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट
* सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस-2011 का उल्लेख करें।

3½

प्रभावी निष्कर्ष लिखें

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिये इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

What do you understand by the Uniform Civil Code? Examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

U.C.C

समान नागरिक संहिता अर्थात् नागरिक की व्यक्तिगत पहचान के बिना कानूनों का समान रूप से अनुपालन।

⇒ बिना धर्म, जाति या लिंग के सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक अथवा उत्तराधिकार कानून, जहाँ व्यक्तिगत कानून शून्य होंगे।

जैसे गोवा में, वहा चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम शादी-विवाह संबंधी कानून सभी के लिए समान हैं।

भारत के लिए UCC की प्रासंगिकता

चूंकि भारत ऐतिहासिक रूप से एक धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश रहा है, जहाँ सभी धर्मों

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

के अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार कानून बने हैं, जिनके मूल में धार्मिक मान्यताएँ हैं। अत: यह इतना आसान नहीं होगा, कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी कानून को जनता स्वीकार करे।

हालाँकि, लोगों मे जागृति लाकर, उनकी लोकतांत्रिक व मानवीय मूल्यों तथा आधुनिक उदार बौद्धिक स्वरूप के प्रति मनोवृत्ति को बदलना होगा, जिससे लोग इसे स्वीकार करें।

⇒ दूसरी ओर, भारत में धार्मिक कट्टरता अभी इस वक्त चरम पर है, अत: ऐसे संवेदनशील मुद्दे को सही वक्त देखकर, जन भागीदारी व आपसी सहमति से लागू किए जाने की आवश्यकता है।

बिंदुवार संक्षेप में लिखने का प्रयास करें

कार्यान्वयन चुनौतियाँ?

3½

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. अन्य कारणों के अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियों ने निचली न्यायपालिका में रिक्तियों में योगदान दिया है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

Systemic flaws in the appointment process among other reasons have contributed to vacancies in the lower judiciary. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हालिया आँकड़ो के अनुसार, वर्तमान में भारतीय न्यायालयों के समक्ष 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें से 90% से अधिक अधीनस्थ न्यायालयों में हैं, जहाँ सबसे अधिक न्यायाधीशों की रिक्तियाँ हैं।

न्यायिक प्रणाली

न्यायालय में

भारत में अधीनस्थ न्यायालय राज्य सरकारों के विषय क्षेत्र में हैं, तथा संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता होती है।

रिक्तियों के कारण

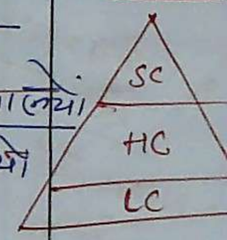

1. भर्ती प्रक्रियाओं मे देरी।
2. सरकार की शिथिलता।
3. संबंधित उच्च न्यायालय जो इन भर्तियों को संचालित करते हैं, वे

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

वित्त की कमी से जूझ रहे हैं।

(5) राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों में समन्वय का अभाव। आदि

[• अखिल भारतीय न्यायिक सेवा
• NJAC जैसे प्रयासों का सुझाव दे सकते हैं।]

सुझाव

चूँकि निचली अदालतों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जल्द ही रिक्तियों को भरने हेतु एक राज्य स्तरीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि जनता को तुरन्त न्याय सुनिश्चित हो सके।

③

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के साथ, संसद ने सहकारी संघवाद के ताने-बाने को हिला दिया है। संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

With the Citizenship (Amendment) Act 2019, the Parliament has shaken the fabric of cooperative federalism. Discuss the statement with reference to the rights and obligations of the States against a law passed by the Parliament. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सहकारी संघवाद से तात्पर्य है, विधि निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की भागीदारी शामिल हो।

[सहकारी संघवाद - केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोगात्मक संबंध।]

चूँकि नागरिकता एक संघ सूची का विषय है, अतः हाल में ही में के संसद ने नागरिकता (संशोधन) अधि. 2019 को पारित किया, जिसमें राज्यों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तथा इस संबंध में राज्य सभा में भी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।

राज्य सभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, परन्तु संसद के इस उच्च सदन को भी नजरअंदाज करने का मतलब

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

है, सहकारी संघवाद को कमजोर करना।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

=> चूँकि कुछ राज्यों में अवैध अप्रवासी ज्यादा हैं- जैसे पश्चिम बंगाल, असम आदि।

अतः ऐसे अधिनियम के चलते वहाँ भारी संख्या में लोग कानूनन अवैध हो सकते हैं।

राज्यों के अधिकारों एवं दायित्व का उल्लेख करें।

=> यह अधिनियम, विशेष धार्मिक समुदाय (मुस्लिम) तथा विशेष देशों से आने वाले लोगों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश) को संबोधित करता है, जो कि भेदभाव जनक है।

अधिकार
- अनु० 131
- एस.आर. बोम्मई मामला
- अनु० 32

दायित्व
- अनु० 245
- अनु० 256
- अनु० 356, 365

एक राष्ट्र की प्रगति एवं लोकतांत्रिक सफलता उस राष्ट्र के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की परस्पर सहभागिता तथा सहयोग में होती है।

2½

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. भारतीय संविधान में किये गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the relation between the President and the Council of Ministers as provided for in the Indian Constitution. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान का भाग-V भारतीय संघ की कार्यपालिका के बारे में है।

कार्यपालिका = राष्ट्रपति + संसद के दोनों सदन + मंत्रिपरिषद + महान्यायवादी

अनु० 53
अनु० 76
अनु० 77
अनु० 78
अनु- 88

अनुच्छेद-74 तथा 75 कार्यपालिका के प्रमुख अंग राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के संबंधों के बारे में है।

अनु.74 के अनुसार, संघ की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होगी। जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए होगी।

अनु-75: ~~कार्यपालिका~~ मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधान मंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा।

इस प्रकार संविधान प्रावधान करता है, कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य केवल मंत्रि परिषद के अनुसार ही करेगा। अर्थात वास्तविक कार्यपालक तो प्रधानमंत्री तथा संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं।

विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति

चूँकि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से ~~चुना~~ किया (निर्वाचित) जाता है, अत: शायद ही कभी प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति में मतभेद की समस्या उत्पन्न होती है।

8½

इस प्रकार राष्ट्र हित में उपरोक्त संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश निरन्तर होनी चाहिए, ताकि कभी कोई मतभेद न हो।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. भारत में न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिये। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भारत में न्याय वितरण की स्थिति में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है? (150 शब्द) 10
Discuss the various issues plaguing the judicial system in India. How alternate dispute resolution mechanisms can help improve the status of justice delivery in India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में एक संघीय न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दे

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी। कभी-कभी भाई-भतीजावाद का आरोप लगता है।

2. न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति पश्चात पद की लालसा। कभी-कभी न्यायाधीश संसद सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा में जनता की नजर में पक्षपात करने वाली छवि के शिकार हो जाते हैं, जिससे जनता का न्याय पर से भरोसा उठ जाता है।

Good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या।

4. 3 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले

5. न्यायालयों मे अभी भी परम्परागत तरीकों से धीमी न्याय प्रक्रिया आदि

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुझाव => ई-न्यायालयों को प्रसार देना होगा।

=> लोक अदालतों मे न्यायाधीशों की संख्या बढानी होगी।

वैकल्पिक विवाद समाधान ?

=> न्यायपालिका को वित्त तथा अन्य संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित करके हम बेहतर व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कर सकते हैं, जो कि संविधान का मुख्य संरक्षक है।

* पूरा उत्तर लिखने का प्रयास करें।

(3)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. भारत में सुशासन की कुछ प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिये। इन बाधाओं से संकेत लेते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुशासन से तात्पर्य है, सरल (Simple), नैतिक (moral), जवाबदेह (Accountable) जिम्मेदार (Responsible) तथा पारदर्शी (Transparent) शासन। S.M.A.R.T शासन

सुशासन की प्रमुख बाधाएँ

1. विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव।
2. पारदर्शिता की कमी
3. प्रशासनिक नैतिकता के अभाव मे जवाबदेहिता की कमी।
4. संसाधनो का अभाव
5. कुछ विभागों मे कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक बोझ आदि।
6.

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. प्रशासन में अभी भी तकनीकी नवाचारों का अभाव।

7 नियुक्ति में गड़बड़ी के चलते ईमानदार व सत्यनिष्ठ सिविल सेवकों का अभाव आदि।

सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तें

1. जन भागीदारी
2. जनता की जरूरतों का पहले ध्यान
3. नागरिक चार्टर आदि का ठीक से पालन
4. जवाबदेहिता व पारदर्शिता का कार्य वातावरण
5. कानून का शासन, आदि,

[Margin: * ठोस कानूनी ढाँचा; * मजबूत संस्थागत तंत्र; * सक्षम-समर्पित कार्यबल; * विकेंद्रीकरण]

अतः अब वक्त आ गया है, जब शासन करने की थोपने वाली प्रवृत्ति से आगे बढ़कर सहभागी सुशासन की स्थापना हो।

[Good] [4]

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. सामाजिक लेखापरीक्षा आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है। इस कथन की विवेचना कीजिये और भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा के संस्थानीकरण में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Social audit helps to narrow gaps between vision and reality". Examine the statement and also discuss the impediments in the institutionalization of social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सामाजिक लेखा परीक्षा से अर्थ है, स्थानीय स्तर पर समाज व नागरिक स्वयं मिलकर किसी भी नीति व योजना से संबंधित वित्त व्यय की प्रासंगिकता की जाँच करें। [Good]

जैसे: मनरेगा (MNREGA) योजना में कार्य स्थल पर ग्राम सभा के लोग आय-व्यय के लेखा-जोखा की जाँच करते हैं।

[Margin: 73वाँ संविधान संशोधन →] [Good]

आदर्श और वास्तविकता के बीच अंतर -

चूंकि कागजों में तो योजना में वित्त आवंटन ज्यादा दिखाया जा सकता है) परन्तु वह खर्च तो पंचायती राज संस्थानों आदि से आम नागरिकों पर ही होता है, ऐसे में सभी को मालूम हो जाता है, कि वास्तविक वित्त आवंटन व

[Margin: इस संदर्भ में कुछ आँकड़े प्रस्तुत करें]

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

वास्तविक व्यय के बीच अन्तर कैसे रहा।

=> वास्तविक व्यय पर निगरानी से पारदर्शिता बढ़ जाती है।

=> उच्च अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ जाती है।

इस प्रकार सामाजिक लेखा परीक्षा इस अन्तर को वक्त के साथ कम करेगी।

बाधाएँ

1. जन जागरूकता का अभाव।
2. ग्राम सभाओं मे सहभागिता की कमी।
3. सिटिजन चार्टर का ठीक से अनुपालन नहीं
4. उच्चाधिकारियों में जज्बे की कमी, आदि

अतः सामाजिक अंकेक्षण में भले ही अभी बाधाएँ हैं, पर भ्रष्टाचार कम कर समावेशी विकास व भागीदारी सुशासन में महत्ती भूमिका निभा सकता है।

(4)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. प्रस्तावना न तो निषेध या सीमा का स्रोत है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Preamble is neither a source of prohibition nor limitation. Discuss in the context of various judgments of the Supreme Court. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान की प्रस्तावना को "संविधान की आत्मा" कहा जाता है,

=> प्रस्तावना एक दर्शन है; दर्पण है भारतीय संविधान निर्माताओं की भावनाओं का।

=> चूँकि प्रस्तावना, को संविधान का ही अंग माना गया है, अतः इस पर निम्न निर्णय दिए गए हैं—

"प्रस्तावना न तो निषेध का स्रोत है, न ही सीमा"

सर्वोच्च न्यायालय के, बेरुबाड़ी वाद (1960) में प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि प्रस्तावना मे संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह

संक्षिप्त एवं सारगर्भित लिखने का प्रयास करें

- बेरुबारी वाद
- गोलकनाथ वाद
- केशवानंद भारती वाद
- राजनारायण वाद
- मिनर्वा मिल्स वाद

इनमें प्रस्तावना को निषेध/सीमा स्रोत मानने से इंकार किया गया। उन्हें बताएँ

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान का भाग नहीं है।

परन्तु, गोलकनाथ वाद (1967) में इसे संविधान का भाग माना गया, और कहा गया, " प्रस्तावना अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करती है;

पर उल्लिखित समता, स्वतंत्रताएँ तथा न्याय के सिद्धान्त न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं।

अतः प्रस्तावना का कोई भी प्रावधान जब वाद-योग्य ही नहीं है, तो वह सिर्फ एक दार्शनिक नैतिक संहिता रह जाती है, न शक्तियों का स्त्रोत, न ही निषेध

मॉडल उत्तर देखें।

(3)

Good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के आलोक में इन संशोधनों के महत्त्व की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the significance of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts with some of their important provisions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रभावी भूमिका लिखने का प्रयास करें

73rd तथा 74th संविधान संशोधन अधिनियमों (1992) ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलवाया।

=) इस संशोधन अधिनियम के पश्चात निम्न प्रकार से इनका महत्त्व बढ़ गया।

(1) अब प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव करवाने अनिवार्य हो गए।

(2) अब राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अनिवार्य।

(3) अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा अनिवार्य, इसलिए विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र प्रभावी होना संभव हुआ है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) अब पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों पर महिलाओं को न्यूनतम 1/3rd आरक्षण अनिवार्य हो गया,

इस प्रकार इसनें महिला सशक्तिकरण को बढावा दिया है।

5. समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ है।

इस प्रकार 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों की बदौलत देश का सामाजिक-आर्थिक विकास तेजी से हुआ है।

हालांकि लक्ष्य को प्राप्त करनें में अभी भी जागरूकताभाव, वित्त की कमी सरपंच पति प्रथा आदि बाधा बने हुए हैं।

• SC/ST को आरक्षण (आबादी के अनुपात में)

* सीमाएँ / कमियाँ -
⇒ प्रधानपति की संकल्पना
⇒ भ्रष्टाचार
⇒ सामाजिक लेखा परीक्षण की अनदेखी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ एवं उपाय

⇒ महिला साक्षरता की कमी का फायदा उठाकर अभी भी वास्तविक राजनीतिक भागीदारी पुरूष ही! अतः महिला शिक्षा के प्रयास हों।

⇒ वित्त की कमी -
सुधार : ग्राम स्वरोजगार तथा स्थानीय करो की शक्ति मिले

⇒ व्याप्त भ्रष्टाचार -
↳ तकनीकी उपाय कर, पारदर्शिता बढाई जाए;
↳ नागरिक चार्टर तथा सेवोत्तम मॉडल के साथ-साथ सामाजिक अंकेक्षण आदि

Good

निष्कर्ष ?

6.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

12. संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? संसदीय विशेषाधिकारों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। 'संसदीय विशेषाधिकारों' के कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण बताइये। इस समस्या के समाधान के उपायों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द) 15

What are parliamentary privileges? Explain the significance of Parliamentary privileges. Give reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. Mention measures to address this problem. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसदीय विशेषाधिकार → व्यक्तिगत

संसद सदस्यों को मिली उन्मुक्तियों ~~सामूहिक~~ कार्य स्वतंत्रता को संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं।

महत्त्व:
- → स्वतंत्रता बनी रहती है।
- → कार्य क्षमता में वृद्धि
- → अनैतिक व अवांछित दबावों से मुक्ति, आदि
- → न्यायपालिका से कार्यपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

अनु० 105, 194 में उल्लेख

चूँकि कई बार सांसद अपने विशेषाधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं, अतः इनका कानूनी संहिताकरण होना चाहिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

संहिताकरण से → कानून का दर्जा → न्यायोग्य → सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप → सीमित हो जायेगा

कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण

1. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
2. अस्पष्टता
3. मौलिक अधिकारों संबंधित बाधाएँ
4. आपसी गुटबाजी आदि।

* सदस्यों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देने का प्रयास।

* संसदीय संप्रभुता को बनाए रखना।

समाधान के उपाय

1. सांसदों को जनता के प्रति ~~आमदक~~ जवाबदेह बनाते हुए कुछ हद तक विशेषाधिकारों का स्पष्ट संहिताकरण हो।
2. एक "विशेषाधिकार संहिताकरण" विधेयक पारित किया जाए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

3. प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए जनता से सुझाव प्राप्त करने चाहिए।, आदि

इस तरह संसद को राज्य विधायिकाओं को साथ लेते हुए एक मॉडल विशेषाधिकार संहिता का निर्माण करना चाहिए।

7

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

13. भारत में न्यायिक समीक्षा के महत्त्व की व्याख्या कीजिये। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों के साथ न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा कीजिये? (250 शब्द) 15
Explain the significance of judicial review in India. Discuss scope of judicial review with key provisions in the constitution with respect to judicial review in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है, विधायिका की विधि या कार्यपालिका के किसी आदेश की संवैधानिक वैधता की जाँच करना।

महत्त्व

* शक्ति संतुलित के लिए आवश्यक
* मौलिक अधिकारों की रक्षा।

1. विधायिका व कार्यपालिका की अनियंत्रित शक्तियों पर नियंत्रण।
2. संवैधानिक नैतिकता की सुरक्षा
3. लोकतांत्रिक मूल्यों व परम्पराओं की रक्षा।
4. तानाशाही पूर्ण कदमों को रोकने में सहायक।

Good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हालाँकि, कई बार जब न्यायिक समीक्षा विधायिका में अनावश्यक हस्तक्षेप करे, तो यह संसदीय संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है।

आधार
अनु० 13, 32
अनु० 226
• अनु० 131-137

न्यायिक समीक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद - 13 : कोई ऐसी विधि शून्य होगी, जिससे राज्य द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून करेगा।

अनुच्छेद : 31
न्यायालय कुछ नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वरीयता देने हेतु संसद की किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद - 32 : मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली विधियों को सर्वोच्च न्यायालय शून्य कर सकता है।

अनुच्छेद - 226 : मौलिक अधिकारों को कमतर करने तथा अन्य अधिकारों वाली विधियो व प्रस्तावों को उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा द्वारा शून्य घोषित कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा के दायरे?
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू।
- कानून संवैधानिक प्रावधानों के दायरे से बाहर होने पर
- अनेक प्रावधान - जिनकी समीक्षा नहीं हो सकती
  - संसदीय कार्यवाही
  - राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
  - राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह।

(6)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

14. राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डालिये। केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Highlight the role of governor as the constitutional head of the state. Critically examine the governor's role as 'an agent of the center'. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में एक संघीय प्रकार की शासन व्यवस्था है। तथा केन्द्र की ओर झुकी हुए विकेन्द्रीकृत प्रणाली है।

राज्यपाल की भूमिका

=> राज्यपाल केन्द्र सरकार अथ की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है; अत: एक प्रकार से 'केन्द्र के एजेंट' के रूप में तथा 'राज्य के संवैधानिक प्रमुख' के रूप में कार्य करता है।

=> राज्यपाल को राज्यों में लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो राष्ट्रपति को केन्द्र में।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

=> चूँकि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद प्र्यन्त होता है, अत: बहुत ही कम फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है; बाकि सभी फैसले केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार।

[Examiner's note: प्रसादपर्यंत]

=> हालाँकि राज्यपाल के पास कुछ विवेक स्वतंत्रताएँ भी होती हैं, जैसे - राज्य सरकार के अल्पमत में आने पर विधानसभा का विघटन, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना आदि। या फिर अनुच्छेद- 356 या 365 के आधार पर राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केन्द्र/राष्ट्रपति से करना आदि।

[Examiner's note: बिंदुवार संक्षेप में लिखने का प्रयास करें।]

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हालाँकि, राज्यपाल को कुछ
विवेक स्वतंत्रताएँ भी होती हैं, जिन्हे
वह बिना किसी की सलाह के स्वयं
लागू करता है — जैसे –

(1) विधानसभा त्रिशंकु के वक्त
फ्लोर टेस्ट का आदेश

(2) अचानक से वर्तमान मुख्यमंत्री
की मृत्यु पर अपनी
इच्छानुसार किसी दल के
नेता को मुख्यमंत्री
नियुक्त करना।

(3) अल्पमत में आने पर
विधानसभा का विघटन आदि

इस प्रकार कह सकते हैं, राज्यपाल के
पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, पर
वे नाममात्र की हैं, वास्तविक
शक्तियाँ केन्द्र के पास ही होती हैं,
जिनके अनुसार
कार्य करना पड़ता है।

मॉडल उत्तर देखें

7

निर्धारित स्थान में लिखने का प्रयास करें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

15. क्या दल-बदल विरोधी कानून विचार विमर्श करने वाली संस्थाओं के तौर पर हमारी विधायिकाओं के कामकाज के लिये बाधा है, जो कि कार्यपालिका को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Is the anti-defection law detrimental to the functioning of our legislatures as deliberative bodies, which hold the executive accountable to the citizens? Critically analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दल-बदल विरोधी कानून -1985
52वाँ संविधान संशो० 1985

दल-बदल से अर्थ किसी राजनेता का
एक दल से दूसरे दल में चले
जाना अनुसूची-10 में निर्देशित
नियमों के विरुद्ध जाकर।

* संक्षेप में दल-बदल कानून के प्रावधानों का उल्लेख करें।

→ कार्यपालिकाएँ नागरिकों के प्रति
जवाबदेह होती हैं, यह बात सत्य
है पर दल को इसलिए बदल
देना ताकि किसी दल की सरकार
अल्पमत में आकर गिर ही जाए,
यह तो संवैधानिक नैतिकता का
गंभीर मुद्दा भी है।

अतः विधायिकाओं के कार्य
में बाधा जरूर आती है दल-बदल

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कानून की वजह से, परन्तु इससे एक हद तक संवैधानिक नैतिकता बचाने का प्रयास सफल तो होता है।

वहीं दूसरी तरफ, यदि दल-बदल कानून न हो, तो —

(1) विधानसभाएँ सुचारु रूप से चलती तो रहेंगी, परन्तु भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ जाएगा कि फायदे की बजाय राज्य का नुकसान ज्यादा होगा।

(2) 'आया राम-गया राम' वाली कहावत रोज दोहराई जाएगी, जिससे जनता के अधिकारों का नुकसान होगा।

(3) जनता के प्रति जवाबदेहिता शून्य हो जाएगी।

अनावश्यक विस्तार से बचें। ताकि ज्यादा बिंदुओं को समाहित किया जा सके।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अतः सुचारु रूप से विधायिकाएँ भी चलती रहें, तथा इस दल-बदल कानून के चलते संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा भी सुरक्षित रहे, ऐसा कोई संतुलनकारी उपाय ढूंढना होगा।

* मॉडल उत्तर का अवलोकन करें।

5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. कुशल और पारदर्शी शासन के संघर्ष में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का पद अग्रणी भूमिका में रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

The office of the CAG has been a vanguard in the fight for efficient and transparent governance. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जनता के धन का संरक्षक कहा जाता है।

अनु० 148-151

कुशल एवं पारदर्शी शासन के तत्वों को बताएँ
- भ्रष्टाचार रहित
- जवाबदेह
- सक्षम
- कानून का शासन
-

CAG की स्वतंत्रता

⇒ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

⇒ निश्चित कार्यकाल।

⇒ पद मुक्ति में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं।

⇒ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी ही पद की सुरक्षा।

⇒ भारत की संचित निधि पर भारित वेतन व भत्ते।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चूँकि CAG किसी भी प्रकार के कार्यपालिका नियंत्रण से मुक्त पद है, ऐसे में केन्द्र व राज्य सरकारों की लेखा-परीक्षाएँ स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से की जाती रही हैं, जो कि लोकतंत्र की सफलता का एक प्रमुख आधार स्तंभ रहा है।

CAG निष्पक्ष होकर न केवल भारत के सरकार के राजस्व तथा पूँजीगत खातों की लेखा परीक्षा करता है, बल्कि राज्यों के सरकारों को भी। विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की लेखा परीक्षा कर उनकी उन्नति व सफलता में

Copyright – Drishti The Vision Foundation

CAG → केंद्र का लेखा परीक्षा
राज्यों का लेखांकन + लेखा परीक्षा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

CAG ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है।

हालाँकि, CAG सिर्फ लेखा परीक्षा तक सीमित है, इसकी नियंत्रक की भूमिका सीमित है।

इसलिए व्यय के बाद पोस्टमॉर्टम जैसा कार्य बतलाकर कई बार CAG की आलोचना भी होती है। हालाँकि वित्त की प्रासंगिता की जाँच करने की शक्ति भी CAG को देकर कई क्षेत्रों मे होने वाले अपव्यय से बचा जा सकता है।

6.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'नवीन विशेषताओं' के रूप में वर्णित किया गया है। चर्चा कीजिये कि उन्होंने विभिन्न विधानों के आधार के रूप में कैसे कार्य किया है? (250 शब्द) 15

Directive Principles of State Policy have been described as 'novel features' of the Indian Constitution. Discuss how they have served as a basis for various legislations? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों (DPSP) ने वास्तव में भारतीय नीति निर्माताओं को बेहतरीन तरीके से दिशा-निर्देशित किया है, कि-

(1) भारत अपनी लोक कल्याणकारी राज्य की भावना पर खरा उतरा है।

(2) प्रथम संविधान संशोधन, 1951, 9वीं अनुसूची को शामिल करना, भूमि सुधार कानून सम्पत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बनाना, तथा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

39A drishti

अनु. 39(A) - वंचितों को मुफ्त व अनिवार्य न्याय, अनु. 43(B), सहकारी संस्थाओं का विकास आदि सभी संशोधन, भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में हैं।

(3.) एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में भूमिका निभाकर।

4. सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना करके भी DPSP ने अपनी नवीन विशेषताओं का दर्शन प्रस्तुत किया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti

विधानों के आधार के रूप में DPSP

⇒ 102 वाँ सं. संशोधन अधिनियम, OBC के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा।

⇒ 73 वाँ तथा 74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे कि DPSP के अनुच्छेद-40 के अनुपालन में।

⇒ NALSA एक्ट, 1987 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी DPSP के अनुच्छेद - ~~39(A)~~ 39-A के अनुपालन में आधार का काम किया है।

65

• निष्कर्ष अवश्य लिखें।
• मॉडल उत्तर देखें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

18. सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically analyze the role of pressure groups in influencing the policies of the government. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

गैर-राजनीतिक संगठित समूह

दबाव समूह ऐसे संगठित जन समूह होते हैं, जो अपनी नैतिक-अनैतिक माँगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं।

उदा - जय किसान आंदोलन

दबाव समूहों की भूमिका

⇒ दबाव समूह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भावना को बढ़ाते हैं।

⇒ वंचित वर्गों की माँगों की आवाज बनते हैं।

⇒ देश में मुद्दों के प्रति जन जागृति पैदा करते हैं।

कुछ उदाहरणों का अवश्य उल्लेख करें
- इंडिया अगेंस्ट करप्शन
- भारतीय किसान यूनियन
- मजदूर किसान शक्ति संगठन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

⇒ सरकार को और पारदर्शी व जवाबदेही बनाने की कोशिश करते हैं।

⇒ सुशासन की स्थापना में भागीदार बनते हैं।

* उत्तर को कंटेंट से जोड़ें।

दबाव समूहों का नकारात्मक पक्ष

1. ⇒ कई बार आन्दोलन उग्र हो जाते हैं।
2. ⇒ कई बार धार्मिक या साम्प्रदायिक रूप ले लेते हैं।
3. ⇒ कई बार कामकाज ठप्प करवा देते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) क्या कई बार दबाव समूह समझौतावादी रास्ता अपनाकर निज हितों की पूर्ति में लग जाते हैं।

इस प्रकार दबाव समूह की प्रकृति तथा उद्देश्य अगर नैतिक व जनहित के अनुसार हैं, तो ये शासन व्यवस्था को दुरस्त करने व सेवा वितरण को सुचारु करने में महती भूमिका निभाते हैं।

Good

6.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. भारत में हाल ही में शुरू किये गए कुछ चुनावी सुधार कौन-से हैं? जहाँ तक चुनावी सुधारों का संबंध है, आपके अनुसार किन मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जान होती है।

देवनागरी लिपि का प्रयोग बेहतर होगा।

=> T.N. Seshan, जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने आदर्श नैतिक संहिता के अनुपालन पर उल्लेखनीय ~~कर~~ सुधार किए।

=> हाल ही के चुनावी सुधार

=> VVPAT मशीनों का उपयोग

=> चुनावी प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

⇒ Exit पोल पर कड़ाई से पालन।

⇒ चुनावी आवेदन पत्र भरने के पूर्व उम्मीदवारों को स्वयं, तथा परिवार के सभी सदस्यों की वित्तीय व व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करवाना।

⇒ चुनाव पंजीकरण, नामावली प्रक्रियाओं के कार्य आसान आदि।

* C-Vigil

मुद्दे

1. अभी VVPAT मशीनों के प्रति जनता की विश्वसनीयता बनाना बाकी है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

2. राजनीति में गुंडागर्दी की क्रिया

3. चुनावी अवैध फंडिंग

4. भ्रष्टाचारी व दबंगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकना

5. चुनावी आचार संहिता का सख्त पालन

6. सोशल मीडिया द्वारा चुनावों को प्रभावित करने से रोकना आदि।

निष्कर्ष लिखें। 6

Copyright – Drishti The Vision Foundation